

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

संख्या 196/81-82
197

यह प्रमाणित किया जाता है कि ज्जावीर बाल विद्या निम्नलिखित
संस्थान, जयपुर जिला जयपुर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की मुहर से प्राप्त
दिनांक बीस मार्च 1972 एवं एक हजार नौ सौ इक्यासी को
जयपुर में दिया गया।

डॉ. टी. भर्गव

रजिस्ट्रार संस्थाएँ, राजस्थान,
जयपुर।

राज्यीय मुद्रांकन, जयपुर।